प्रेस नोट दिनांक 02.07.2024

दंपत्ति को गोली मारने वाले अन्य वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

□ नवागत एसपी का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

□जनपद में आते ही एसपी ने दोहराई अपराध के प्रति जीरो टालरेंस नीति

□थाना मान्धाता के हैंसी परजी में पति-पत्नी पर फायरिंग करने वाले अन्य 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□थाना मान्धाता पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत पनियारी बाजार से अभियुक्त गिरफ्तार

□पूर्व में 01 अभियुक्त विरेन्द्र यादव उर्फ बच्चा पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम सराय हरिनारायण थाना -मान्धाता जनपद प्रतापगढ को स्वाट टीम व थाना मान्धाता पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में घायल/ गिरफ्तार किया गया

□अभियुक्त अमित मिश्रा थाना मान्धाता प्रतापगढ़ में लूट जैसे अपराधो में संलिप्त

□फायरिंग की घटना में शामिल अन्य नामजद और वांछित अभियुक्तों की तलाश में पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 29.06.24 को थाना मान्धाता क्षेत्र के हैसी परजी में पति-पत्नी पर फायरिंग कर घायल करने की घटना के संबंध में थाना मान्धाता में 02 नामजद व 10-12 अज्ञात व्यक्तियों के नाम धारा 147/148/149/323/307/504/506/427 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार निर्देश के क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये टीमें गठित कर त्वरित कारवाई करने को कहा। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ दुर्गेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय कुमार साहनी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता के नेतृत्व में उ0नि0 अशोक कुमार सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अन्य वांछित 02 अभियुक्त, 01. अमित मिश्रा पुत्र अशोक मिश्रा निवासी निवासी ग्राम जद्दूपुर थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ 02. आकाश शर्मा पुत्र संदीप शर्मा निवासी रामपुर गुडरु थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत पनियारी बाजार के पास को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में 01 अभियुक्त विरेन्द्र यादव उर्फ बच्चा पुत्र सुखदेव निवासी ग्राम सराय हरिनारायण थाना - मान्धाता जनपद प्रतापगढ को स्वाट टीम व थाना मान्धाता पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में घायल/ गिरफ्तार किया गया, साथ ही फायरिंग की घटना में शामिल अन्य नामजद और वांछित अभियुक्तों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

01. अमित मिश्रा पुत्र अशोक मिश्रा निवासी निवासी ग्राम जद्दूपुर थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. आकाश शर्मा पुत्र संदीप शर्मा निवासी रामपुर गुडरु थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

अमित मिश्रा पुत्र अशोक मिश्रा निवासी निवासी ग्राम जद्दूपुर थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 146/2023 धारा 394, 411 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 अशोक कुमार सिंह, उ0नि0 यूटी अलंकार यादव, का0 रणवेन्द्र सिंह, का0 गोपी चन्द्र थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान- अपराध एवं अपराधियों के प्रति सरकार और शासन की शून्य सहनशीलता की नीति पर पुलिस चलने को कटिबद्ध है, अपराध किसी भी प्रकार का और किसी के भी द्वारा किया गया हो किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि कोई दुस्साहस हुआ तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

-डा. अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़।

□ नवागत एसपी के अपराध के प्रति जीरो टालरेंस नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

□ दुष्कर्म, मारपीट, गाली- गलौज, जान से मारने की धमकी के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ थाना बाघराय पुलिस ने थाना क्षेत्रान्तर्गत करैनी चौराहे के पास से अभियुक्त दबोचा

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मय हमराह

हे0का0 महेश कुमार सिंह, का0 शंशाक राय, का0 बौबी चौधरी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय में पंजीकृत मु0अ0सं0 185/2024 धारा 323, 504, 506, 376 भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त आदित्य पटेल उर्फ आजाद पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पटेल निवासी ग्राम मुजेढी थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 11.07.2024 को 11.30 बजे थाना क्षेत्रान्तर्गत करैनी चौराहे के पास गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी के पड़ौस में रहने वाले अभियुक्त आदित्य पटेल उर्फ आजाद पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पटेल निवासी ग्राम मुजेढी थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दुष्कर्म करने, मारपीट करने, गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी दिया देने के प्रकरण में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में दिनांक 06.06.2024 को मु0अ0सं0 185/2024 धारा 323, 504, 506, 376 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01. आदित्य पटेल उर्फ आजाद पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पटेल निवासी ग्राम मुजेढी थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मय हमराह हे0का0 महेश कुमार सिंह का0 शंशाक राय का0 बौबी चौधरी थाना बाघराय, प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 02.07.2024

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

□अपहरण के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

□दिनांक 20.06.2024 को ग्राम कोलबजरडीह(सीताराम तिवारी का पुरवा) निवासी 01 युवती का हुआ था अपहरण

□थाना अन्तू पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोलबजरडीह(सीताराम तिवारी का पुरवा) से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पुर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शिव नारायम वैश के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी जितेन्द्र कुमार के नेतृत्व में दिनांक 02.07.2024 को समय 07.10 बजे थाना अन्तू के निरीक्षक विनोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त दौरान वादी मुकदमा की सूचना पर मु0अ0सं0 340/24 धारा 363,366 भादवि से संबंधित 01वांछित अभियुक्त, 1- आर्दश सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अन्तू के ग्राम कोलबजरडीह(सीताराम तिवारी का पुरवा) से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-

दिनांक 20.06.2024 को वादी शंकरलाल कोरी पुत्र मिठ्ठलाल कोरी निवासी ग्राम कोलबजरडीह(सीताराम तिवारी का पुरवा) थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ की पुत्री को आरोपीगण द्वारा अपहरण करने के प्रकरण में दिनांक 22.06.24 को थाना अन्तू में मु0अ0सं0 340/24 धारा 363,366 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान आरोपी का चिन्हीकरण/गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा था।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 340/24 धारा 363,366 भादवि थाना अन्तू, प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- आर्दश सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव मय हमराह का0 बौध्द प्रकाश, का0चा0 छोटक चौधरी थाना अन्तू , जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 02.07.2024

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

➡️ नवागत पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

➡️ शादी का झांसा देकर विश्वासघात कर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

➡️ अभियुक्तों द्वारा लड़की के साथ विश्वासघात कर उसके पैसे, आभूषण व यूपीआई के माध्यम से धनराशि खाते में ट्रांसफर करा लिया गया था ।

➡️ दिनांक 01.07.2024 को थाना लीलापुर में पीड़िता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी।

➡️ थाना लीलापुर पुलिस ने क्षेत्रान्तर्गत बहुचरा मोड़ अजगरा रानीगंज के पास से अभियुक्त को दबोचा।

पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 256/2024 धारा 376,504, 506, 406 भादवि में 01 वांछित अभियुक्त प्रभात दुबे पुत्र राजेन्द्र दुबे निवासी दुबेपुर थाना कोतवाली अमेठी, जनपद अमेठी को दिनांक 02.07.2024 को 12.30 बजे थाना क्षेत्रान्तर्गत बहुचरा मोड़ अजगरा रानीगंज के पास गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपी द्वारा युवती के साथ बातचीत कर उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किये जाने तथा उसके साथ विश्वासघात करते हुये उसके पैसे, आभूषण व खाते में बड़ी धनराशी ट्रांसफर करा लेना व परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर पर दिनांक 01.07.2024 को मु0अ0सं0 256/2024 धारा 376,504,506,406 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण-

प्रभात दुबे पुत्र राजेन्द्र दुबे निवासी दुबेपुर थाना कोतवाली अमेठी, जनपद अमेठी

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह हे0 का0 अजय प्रजापति थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।